न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 196/2022 तारीख रजू:– 03.08.2022

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1.	बत्तू पुत्र श्री बुद्धा	जाति जाट
2.	अतरी बेबा बुद्धा	निवासी रेवई
3.	सौरभ पुत्र कल्ला	तहसील हिण्डौन
4.	सचिन पुत्र कल्ला	जिला करौली
5.	कृष्णा कुमारी पुत्री कल्ला	राजस्थान ————————सायलान

बनाम

1. मीना देवी बेबा कल्ला जाति जाट निवासी रेवई तहसील हिण्डौन
2. कान्हा पुत्र मोहन आयु 13 साल जरिये संरक्षिका माँ सुनीता बेवा मोहन जाति जाट निवासी रेवई तहसील हिण्डौन जिला करौली
3. सुनीता बेबा मोहन जाति जाट निवासी रेवई तहसील हिण्डौन जिला करौली
4. तहसीलदार तहसील हिण्डौन ——————————————गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री एस. एल. चौधरी एडवोकेट सायलान

निर्णय

दिनांक :–23.12.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद 01 में दर्ज किया है कि सायलान ने गैरसायलान के विरूद्ध उपरोक्त उनवानी वाद बाबत घोषणा खातेदारी एवम स्थायी निषेधाज्ञा माननीय अदालत में पेश कर दिया है जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद 02 में दर्ज किया है कि खाता संख्या नया 150 व पुराना खाता संख्या 175 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 261 रकबा 0.25 ऐयर 262 रकबा 0.27 ऐयर, 278 रकबा 0.20 ऐयर, 799/1104 रकबा 0.08 ऐयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.80 हेकटेयर वाके ग्राम रेवई तहसील हिण्डौन सिटी में स्थित है।

प्रार्थना पत्र के मद 03 में दर्ज किया है कि उपरोक्त आराजीयात मुतजिक्रा मद नं02 प्रार्थना पत्र सायल नं01 का 1/4 हिस्सा व सायल सं02 का 1/4 हिस्सा, सायलान नम्बर 3, 4, 5 के पिता व गैरसायल नम्बर 1 के पति कल्ला पुत्र बुद्धा का 1/4 हिस्सा तथा सुनीता बेबा मोहन का 1/8 हिस्सा व गैरसायल सं० 2 का 1/8 हिस्सा है। खातेदार कल्ला के हिस्सा 1/4 में से सायल सं० 3 का 1/16 हिस्सा, सायल सं04 का 1/16 हिस्सा, सायल सं05 का 1/16 हिस्सा तथा गैरसायल सं० 1 मीना देवी का 1/16 हिस्सा है। उक्त आराजीयात का सायलान व गैरसायल सं01 ता 3 के मध्य आपस में पूर्व में ही बाहमी तौर पर बंटबारा हो गया है और बाहमी बंटबारे में अपने हिस्से में आयी आराजीयात पर बाहमी बंटबारा के समय से ही सायलान व गैरसायल नं01 ता 3 काबिज चले आ रहे है। लेकिन अभी तक उक्त आराजीयात का विधिवत बटबारा नही हुआ है। सायलान अपने हिस्से की आराजी पर मौके पर काबिज व दखील चला आ रहे है सायलान ने काफी धन खर्च करके व मेहनत करके अपनी आराजीयात को उन्नत बनाया है। सायलान अपने हिस्से की आराजीयात को बिना किसी रोक टोक के शांति पूर्वक कास्त करते व उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। सायलान अपने हिस्से की जमीन पर काबिज है। सायलान की उक्त आराजीयात पुरखों की आराजीयात है जो कि सायलान व गैरसायलान सं01 ता 3 को विरासत में प्राप्त हुयी है।

प्रार्थना पत्र के मद 04 में दर्ज किया है कि गैरसायलान नं01 ता 3 की नीयत में बदयांति है, और गैरसायलान नं01 ता 3 आये दिन सायलान के हिस्से की भूमि की डौल मेंढो को तोडते रहते है, और जबरन अपने हिस्से से अधिक जमीन यानि सायलान की जमीन को हडपने के कुप्रयास में रहते है और

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सायलान को जबरन बेदखल करना चाहते है, तथा बिना लीगल बंटबारा हुये उक्त आराजीयात को रहन वय करने पर आमादा रहते है। सायलान ने कई बार उक्त आराजी का विधिवत बटबारा को निवेदन किया, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टालते रहे आ रहे है। और जबरन बेदखल करना व बिना लीगल बंटबारा के रहन वय करना चाहते है। गैरसायल सं03 सुनीता गैरसायल सं02 कान्हा जो कि मानसिक रूप से अस्वस्थ है, का बेजा फायदा उठाकर पूरी जमीन को बेचना चाहती है।

प्रार्थना पत्र के मद 05 में दर्ज किया है कि सायलान ने अपने हिस्से की जमीन में गत साख गेहूं सरसों की फसल कास्त कर रखी थी, जिसे सायलान ने ही दरोह किया था तथा अब सायलान ने अपने हिस्से की भूमि में बाजरा कास्त किया है जो कि सरसब्ज हालत में खडा है। इसप्रकार सायलान का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद 06 में दर्ज किया है कि घटना दिनांक 30.07. 2022 को समय सुबह करीब 9 बजे की है कि सायलान अपने हिस्से जमीन की साल संभाल कर रहे थे कि इतने में गैरसायलान नं01 ता 3 सायलान के हिस्से की भूमि पर आये और आते ही सायलान से कहा कि अब तुम इन आराजीयात को भूल जाओ अब हम इन पर कब्जा करेगें और तुम लोगो को बेदखल कर देगें तथा बिना लीगल बंटबारा तुम्हारे हिस्से की जमीन को रहन वय कर देगें। सायलान की कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित करने पर आमादा है। सायलान ने हाथ जोडकर मना किया कि भाईयो हम तो अपने हिस्से की जमीन पर काबिज है, पहले आप तहसील चलकर विधिवत बंटवारा करवालो, लेकिन इस पर भी गैरसायलान नं01 ता 3 तैयार नही हुये और अपनी हठधर्मी पर आमादा है। सायलान ने काफी समझाया तथा गणमान्य लोगो से भी समझवाया लेकिन वे अज खुद मानने को तैयार नही है। यदि गैरसायलान नं01 ता 3 अपनी उक्त बेजा हरकत में सफल हो गये तो वादीगण को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से भी संभव नही है। इसके बाद तहसीलदार जी हिण्डौन के पास गये और विधिवत बटबारा करने को निवेदन किया तो तसीलदारजी ने सक्षम

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अदालत से आदेश लाने को कहा। इस कारण यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रार्थना पत्र के मद 07 में दर्ज किया है कि उक्त परिस्थितियो में गैरसायलान को जरिये टी आई पाबंद किया जाना आवश्यक एवम न्याय संगत है। यदि पाबंद नही किया गया तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से भी संभव नही हो सकेगी। इसप्रकार सुविधा का संतुलन सायलान के ही पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार से पाबंद किया जावे कि दौराने दावा गैरसायलान नं01 ता 3 सायलान को आराजीयात मुतजिक्रा मद नं0 2 प्रार्थना पत्र खसरा नम्बर 261 रकबा 0.25 ऐयर 262 रकबा 0.27 ऐयर, 278 रकबा 0.20 ऐयर, 799/1104 रकबा 0.08 ऐयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.80 हेक्टेयर वाके ग्राम रेवई तहसील हिण्डौन में सायलान के हिस्से सायल सं01 के 1/4, सायल सं02 के 1/4 हिस्से सायलान सं० 3 ता 5 के 1/16, 1/16 हिस्से की भूमि को शांति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। कोई दखलन्दाजी नही करे। सायलान के शांति पूर्वक कब्जे कास्त में कोई अवरोध नही डाले सायलान की डौल मेंड को नही तोडे, बिना विधिवत बंटबारा हुये उक्त आराजीयात मुतजिक्रा मद नं0 2 प्रार्थना पत्र को रहन वय नही करें व सायलान को जबरन बेदखल नही करें। तथा गैरसायलान ऐसा कोई कार्य ना तो स्वंय करे नाही किसी अन्य से करावें जिससे हकूक सायलान को कोई क्षति पहुंचती हो। उक्त भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित नहीं करे। तथा प्रतिवादीगण रिकोर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 06.05.2025 को गैरसायलान बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2069—72 पेश की है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील सायलान की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2069—72 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 261 रकबा 0.25 है0, 262 रकबा 0.27 है0, 278 रकबा 0.20 है0, 799/1104 रकबा 0.08 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.80 है0 वाके ग्राम रेवई तहसील हिण्डौन की खातेदारी अतरी पत्नि बुद्धा हि0 1/4, कल्ला पुत्र बुद्धा हि0 1/4, नाबालिग कान्हा पुत्र मोहन संरक्षक माता सुनीता हि0 1/8, बत्तू पुत्र बुद्धा हि0 1/4, सुनीता पत्नि स्व0 मोहन हि0 1/8 जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 261 रकबा 0.25 है0, 262 रकबा 0.27 है0, 278 रकबा 0.20 है0, 799/1104 रकबा 0.08 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.80 है0 वाके ग्राम रेवई तहसील हिण्डौन में सायल सं0 1,2 एवं सायल सं0 3,4,5 के पिता कल्ला एवं गैरसायल सं01 के पति कल्ला, एवं गैरसायल सं02,3 रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं। सायलान ने बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है, जिसके साथ यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है। सायलान का दावा प्राथमिक डिक्री जा चुका है और दावे के फाईनल निर्णय उक्त विवादित आराजीयात के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखना न्यायोचित प्रतीत होता है। जिससे पक्षकारों के मध्य और विवाद नहीं बढे। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित होता है। ऐसी स्थिति में गैरसायलान को उक्त विवादित आराजीयात के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाना

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी विवादित आराजी खसरा नम्बर 261 रकबा 0.25 है0, 262 रकबा 0.27 है0, 278 रकबा 0.20 है0, 799/1104 रकबा 0.08 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.80 है0 वाके ग्राम रेवई तहसील हिण्डौन के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 23.12.25

उपखण्ड अधिकारी

हिण्डौन जिला करौली